दिनांक 13-5-2014.... को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1- सर्व श्री धीराज सिंह गर्ब्याल

2- श्री लक्ष्मण सिंह रावत

3- श्री रतन सिंह रावत

4- श्री यशपाल पटवाल

जिलाधिकारी गढवाल

प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी

जिला पंचायत सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

बताया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि0मी0 :— निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत् है :—

1— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नविर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि०मी० :— यह मोटर मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत एन०एच० 121 के स्थल ग्राम स्यूसी से प्रारम्भ होता है तथा 7.000 कि०मी० लम्बाई में समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम आमकुलाऊ है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम स्यूसी एवं आमकुलाऊ के ग्रामीणों को मोटर मार्ग से यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जो 3 से 6 कि०मी० तक का रास्ता पैदल तय करते है उक्त ग्रामों की आबादी कमशः 555 एवं 119 है। इस प्रकार इस मोटर मार्ग के निर्माण से कुल 674 जनसंख्या लाभान्वित होगी। जिसमें जनपद गढ़वाल में 0.200 कि०मी० लम्बाई में सिविल वनपंचायत भूमि, 0.000 कि०मी० लम्बाई में आरक्षित वन भूमि एवं 5. 900 कि०मी० लम्बाई में नाप भूमि प्रभावित होगी। मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी, जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय सिमिति थलीसैण द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचारोंपरान्त प्रस्तावित समरेखण ही उपयुक्त पाया गया है।

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता प्राप्त) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति थलीसैण से प्राप्त जनपद पौडी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि0मी0। निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.180 है0 सिविल भूमि, 0.810 है0 सिविल वन पंचायत भूमि, 0.000 है0 आरक्षित वनभूमि इस प्रकार कुल वनभूमि 0.990 है0 लोक निर्माण विभाग को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में संक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति प्राप्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

> (धीराज सिंह गुब्राल) आई०ए०एस० जिलाधिकारी गढवाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो, गढ़वाल

1- जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि -

2- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(आदर्श गोपाल सिंह) अधिशासी अमियन्ता निर्माण खण्ड, लोठनिविविव अभिनेश (महबात))

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC

Dated 13 -may 2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOFF), Government of India's letter No 11-9 98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Division C.D. PWD Baijro forVillage Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulauvillage (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has (a) been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required (b) under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have

given their consent to it;

the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-(c) agricultural communities.

As above. Eucl:-

FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Garhwal.

No 1191/8-LAC/2018-19
TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

Dated 13 May, 2019

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of C.D. PWD Baijro (name of user agency) for Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km (purpose for diversion of forest land) in Pauri Garhwal district falls within jurisdiction of Syunsi, Aamkulau village (s) in Thalisan tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest land proposed for diversion. A (a) copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of (b)

forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of Syunsi, Aamkulau villages(s) is enclosed as annexure

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was (d)

a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have (e) given their consent to it;

the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA (f)

As above. Fuel :-



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dhiraj singh Garbyal at Language Sarbyal on dated 13.05.19 at time 10.30 at Pauri in Language Syunsi on Syunsi, Aamkulau area measuring 0.990 hect. for which application claiming rights in Syunsi, Aamkulau area measuring 0.990 hect. for which application of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, the construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, the construction of Village Syunsi to Aamkulau under FRA. 2006 of the following Distt Pauri Garhwal. Length 7.000 km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of applicant sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Paus I...

Dated: 13-05-2019

Deputy Configuration Chairman
District Level Committee

It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Village Syunsi to Aamkulau Motor Road in Birokhal Block, District Garhwal. Length 7.000 km regarding F.R.A. is as following:-

S	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 0.990 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure. The Diversion of forest land for facilitie managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages of aforesaid
(c)	it. The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agriculture.	construction of motor road is attached. S Yes copy of records attached as there are no scheduled tribes and scheduled tribes are scheduled tribes and scheduled tribes and scheduled tribes are scheduled tribes and scheduled tribes and scheduled tribes are scheduled tribes and scheduled tribes and scheduled tribes are sched

Member District Board

Pauri Garhwal

Executive Engineer Privida Division Bailio 2

District Social Welfare Officer Pauri Garhwal Divisional Forest Officer Pauri Garhwal

Deputy Commissioner Pauri Garhwal परियोजना का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य लम्बाई 7.00 कि0मी0।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थलीसैण अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, थलीसैण

उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण के लिये (आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल वन 0.180 हैं0 वन पंचायत भूमि, 0.810 अर्थात कुल 0.990 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थलीसैण) की दिनांक 17-3-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री स्मिर्भ अस्वाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की, गयी। बैठक में

माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 1- श्री ४२१८९११ २५५० (८) उपनित्रा श्री कार्य के ६ वहावन्द्री - उप प्रभागीय वनाधिकारी अत्यानि विवास वृत प्रभाग श्री कहार देन्त सहायक समाज कल्याण अधिकारी करेंगे सदस्य / सचिव अधिकारी करेंगे श्री मोहन लाल बीठडी०सी० क्षेत्र प्रयायत्स्य स्ट्राय ि वारोधासादस्य नेगा।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल में ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.990 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत-वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारों से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थलीसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग हेतु 0.990 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर

प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

मोहन लाल क्षेत्र एंचायत सहस्य दी वार्ड-इनार 🐧 को पाल (उत्तराखण्ड)

पीडी उप देन प्रचाय

उप जिलार्षिकारी/अक्ष्यक्ष अव गाउँ विकास समिति तहसील-थलीसैण जनपद पौडी गढवाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

THE PARTY OF THE P 之后的**工**员。由于一个

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील - थलीसैण जनपद पौडी गढ़वाल

:: प्रारुप-30.3 ::

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड़ बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम - उनाम के ल्लेश तहसील के की की जिला

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (कार्य) है0 आरक्षित वन भूमि, विकासखण्ड है0 सिविल सोयम भूमि. हे0, वन पंचायत भूमि के है0) अर्थात कुल विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अपन कुला हारा दिनांक. 1.5 कुने सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमकुलाऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को प्रिमाश विकास प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

ग्राम सचिव मुहर्

प्राम पंचारत विकास अधिकारी भाम पंचायत हो कि शिट

वेण्डा किया

ग्राम प्रधान/सरपंच महर सहित

ः प्रारुप-30.4 ः

दिनांक 15:06:18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... अग्रेम कुलान

	क किया के नाम	हस्ताक्षर
मांक	ग्राम समा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	UH49-119'E शवत	
	0/9//	अमर्टि है
	अमर भिंह राष्ट्र	
		Speud
	दीरा मणी है। हिपाल	412
	yentes euro	Assend _ wargings
-		चीरेद सिंह
	EST-33 4-518/	
		5/9/16/8
	dias the stad	0.0
	At 11 and	छातूप सिर्हे
	3174 18 219C	
	स्माहिल । सेंह नावल	Sortis
3	स्माहल १६६ चानाः	300
	A41-91 219d	De bourher Rowe
9	9/1/20	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
10	22 21 451 A	Gamesh.
10		3
11	419 18/E 21-5/2/	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	Silagor 18/2 1902	200
12		भारव-६१६ ६
	210211329	स्टिंग दें भी
13	4091991	1124 28
	भाभा देखी	भाष्म ५वा
14		Van 2
15	इष पाल कन्डमी	1998
	9 9 9	1 Aan
16	an 41 x11 4 4	abalini Gal
	7201 01-01	द्या वर्टी
17	4710	228
	aby all	91601 911
18	91100	
	130 21:312 RIS AND THE	To the will that
19-	20101-11010	ह0 — लाताह

ः प्रारुप-30.3 ः

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 7.000 किमी0)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित्त प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत का नाम तहसील क्षेत्रीके जिला के राद्वा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विकासखण्ड बीरोखाल के अन्तर्गत ग्राम स्यूंसी होते हुये आमकुलाऊ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (उप्पर्ध हे0 आरक्षित वन् भूमि द्राक्षिट हे० सिविल सोयम भूमि....हे०, वन पंचायत भूमि दाधि हे०) अर्थात कुल0.9.9.0हे० वन भूमि का लोक विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने

हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत - द्वारा दिनांक 16-16. को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित् से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम स्यूंसी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोट, रिमिश विमाण्योक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

60 गाम सचिव मृहर सहि ग्राम पचायत विकास अधिकारी जीराखाल



<u>ः प्रारुप-30.4 ः</u>

दिनांक 16-06 18को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रहें

क्मांक	ग्राम स्भा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	Vitter-eity 6-its	Three
2	चीवे-५ वि	
	विजय राम	(Paromis
	भगगरीम	ord(NI)
	करम ५-६	7482
	भगवर क्षिट	114
	311-66	Abol
+	- 프로그램 - 1980년	1
	विजयप्रकारीहें कर्णी	* Telet
	दलकीर लिसे -	446
1	81010 18 3 470511	310x9/2
2	भगात कि है का 0511 कित्रकी क्रमनी कुंपाल पालिस मोहन	वसन्ता छया दु
3	लालत मेंहन	Janahan
4	ब्याना देवी	CF1 -11 (0)
5	7 2 64100 10 E 05/40)	Tot
5	अभिनी त्रा देवी	1000398
7	H-192 1298	Wy /
3	2325 the 21ac	er four
9.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
01	(11519/168 - Blank) 3	MANGENET PALL
	Jana?	The state of the s
	gester 1	वंशीरंग)
7.	Land Spud	वोशे वहबाब